न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–31/2018–19

श्रीमती चायना देवी...अपीलार्थी

बनाम

झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी, बुण्डू..प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
27.07.18	अपीलार्थी श्रीमती चायना देवी, पति–श्री जटला मोदक, सा०–निलगिरी टोली, बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–15 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–03/08/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	01	2549	2.5 डीसमील

अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–15 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–03/08/2017 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि से संबंधित खेसरा ऑनलाइन द्रष्टव्य नहीं है, सुधार के उपरांत नामांतरण कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई की तिथि को आवेदक मूल कागजात के साथ उपस्थित नहीं हुआ। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि तकनीकी कारणों से आवेदित भूमि से संबंधित भूमि के खेसरा का ऑनलाईन द्रष्टव्य नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (**REMAND**) किया जाता है कि उक्त तकनीकी भूल सुधार करते हुए इस वाद में अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।